सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)
(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–I आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2025/62 दर्ज तिथिः–05.05.2024

1. मुरारीलाल पुत्र श्री नोरंगलाल निवासी गांगियासर जिला झुन्झुनूं (राज.)

–वादी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू (राज.)

–प्रतिवादी–

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः– श्री दीपक कुमार स्वामी
प्रतिवादीगणः– पैरोकार राज

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा– 88
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

निर्णय

1. आज पत्रावली अन्तर्गत धारा–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। पत्रावली का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1121/48 तादादी 2.3143 हैक्टेयर, कुल किता 01 कुल तादादी 2.3143 हेक्टयर वाके रोही खासोली तहसील व जिला चूरू में स्थित चली आ रही है, जिसके वर्तमान खाता संख्या 257 है तथा पुराने खाता संख्या 250 है, जिसमें वादी का 10/183 हिस्सा है। वादी का नाम जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 में कंम संख्या 5 पर अंकित है।
2. वादी 67 साल का वृद्ध व्यक्ति है, वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में मुरारीलाल पुत्र नोरंगलाल जाति जाट संहवन से दर्ज हो गया, जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम मुरारीलाल पुत्र नोरंगलाल जाति जांगिड है, जाति में संहवन से जांगिड के स्थान पर जाट दर्ज हो गया है।
3. राजस्व रिकार्ड में वादी मुरारीलाल पुत्र नोरंगलाल जाति जाट का वास्तविक नाम मुरारीलाल पुत्र नोरंगलाल जाति जांगिड है और ये एक ही व्यक्ति के नाम है, जिसकी जाति राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध हो गयी है, जिसे संशोधित करवाने हेतु दावा प्रस्तुत किया जा रहा है।
4. राजस्व रिकार्ड में नाम में त्रुटी होने से वादी को काफी हैरानी परेशानी हो रही है तथा अन्य सरकारी दस्तावेजात जाति प्रमाण पत्र आदि में सही नाम व जाति अंकित है। जाति त्रुटीवंश जांगिड के स्थान पर जाट दर्ज होने की वजह से वादी को सरकारी व गैरसरकारी योजनाऐ लेने में काफी परेशानी हो रही है व कोई क्लेम आदि मिल पा रहा है व वादी ने नाम संशोधन हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क किया, तो हल्का पटवारी ने तहसीलदार से नाम शुद्ध करवाने ने तहसीलदार महोदय, चूरू के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया, पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:33:25 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
चूरू

तहसीलदार महोदय ने उक्त दावा संशोधन बाबत अदालतवाला में करने का कहने पर दिनांक 09.04.2024 को वादाधार प्राप्त हुआ व वादगत रकबा अदालतवाला के सुनवाई के अधिकार क्षेत्र में है।

5. नाम संशोधन से किसी भी पक्षकार को कोई क्षति होने का कोई अंदेशा नहीं है एवं न्यायहित में इसे दुरूस्त किया जा सकता है तथा प्रतिवादी को एक प्रार्थना पत्र संशोधन करने बाबत दिया, तो उन्होने संशोधन नहीं करने व श्रीमानजी के यहां दावा करने की कहने पर वाद कारण हासिल हुआ है। वादी उक्त कृषि भूमि की खातेदार काश्तकार होने से उसे वाद प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है।

6. वादगत भूमि रोही खांसोली तहसील व जिला चूरू में स्थित है जिसके सम्बंध में वाद सुनवाई का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को है। जो उचित न्यायशुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः वाद वादी मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का दावा स्वीकार फरमाया जाकर कृषि भूमि खसरा नम्बर 1121/48 तादादी 2.3143 हैक्टेयर, कुल किता 01 कुल तादादी 2. 3143 हैक्टयर वाके रोही खासोली तहसील व जिला चूरू में खातेदार मुरारीलाल पुत्र नोरंगलाल जाति जाट की जगह मुरारीलाल पुत्र नोरंगलाल जाति जांगिड संशोधित किये जाने का आदेश व डिक्री बहक वादी जारी फरमाया जावें व प्रतिवादी को आदेश फरमाया जावे कि डिकी अनुसार अमल दरामद राजस्व रिकार्ड कराया जार्वे व अन्य अनुतोष हितकर वादी हो या हो जावे, वो भी वादी को प्रदान फरमाया जावें।

7. वादी की ओर से प्रस्तुत दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादी की तलबी की गई प्रतिवादी संख्या 01 की ओर जवाब दावा प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब बन्द किया गया। पत्रावली बहस में नियत की गई।

8. अधिवक्ता वादी ने दौराने बहस तर्क दिया कि वादी का दावा स्वीकार फरमाया जाकर कृषि भूमि खसरा नम्बर 1121/48 तादादी 2.3143 हैक्टेयर, कुल किता 01 कुल तादादी 2. 3143 हैक्टयर वाके रोही खासोली तहसील व जिला चूरू में खातेदार मुरारीलाल पुत्र नोरंगलाल जाति जाट की जगह मुरारीलाल पुत्र नोरंगलाल जाति जांगिड संशोधित किये जाने का आदेश व डिक्री बहक वादी जारी फरमाया जावें।

9. आज प्रकरण निर्णय हेतु प्रस्तुत हुआ। अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक अंतिम चौसाला आधार संवत 2070—2073 से खसरा संख्या 1121/48/2.3143 हैक्टेयर ग्राम खासोली-पटवार मण्डल खासोली तहसील व जिला चूरू में वादी का नाम मुरारीलाल पुत्र नोरंगलाल जाति जाट खातेदार दर्ज है। वादी द्वारा उपलब्ध दस्तावेज जाति प्रमाण—पत्र क्रमांक 25650784188 दिनांक 07.01.2025 में वादी की जाति जांगिड दर्ज है। वादी द्वारा इसके अतिरिक्त आधार कार्ड व पासपोर्ट की प्रति भी संलग्न है। वादी द्वारा जमाबन्दी में जाति जाट को शुद्ध नहीं बताया गया। दावा में उक्त जाति संशोधन कर 'जाट' के बजाय दस्तावेजों के अनुसार जाति 'जांगिड' शुद्ध करवाना चाहा गया है। राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेजों में दर्ज नाम में भिन्नता होने से वादीगण [illegible] होना प्रत्यक्ष है। वादीगण वादगत कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार है इसलिए [illegible] रिकार्ड में अपनी गलत जाति को अपने दस्तावेजों के अनुरूप दुरूस्त करवाना चाहा गया है। वादी की जाति दुरूस्त किये जाने से भूमिधारी राज्य सरकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना भी परिलक्षित नहीं है। इस प्रकार वादी द्वारा पेश जाति प्रमाण—पत्र, शपथ—पत्र व दस्तावेजात से दावा उसके पक्ष में प्रमाणित होता है। अतः वादी की असल जाति अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अद्यद्यित किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:33:25 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी

जाकर मिलान किया जाना आवश्यक है ताकि वादी अपने खातेदारी अधिकारों का पूर्ण उपयोग कर सके। अतः वादीगण के हाल राजस्व रिकॉर्ड में जाति संबंधी इन्द्राज को मुताबिक अन्य दस्तावेज असल जाति अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना उचित है। वादी का दावा, अन्य दस्तावेज व जाति प्रमाण—पत्र से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

वादिया का दावा अन्तर्गत धारा—88 राजस्थान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 अंतिम चौसाला आधार संवत 2070—2073 से खसरा संख्या 1121/48/2.3143 हैक्टेयर ग्राम खासोली पटवार मण्डल खासोली तहसील व जिला चूरू, जाति प्रमाण—पत्र व अन्य दस्तावेज से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है एवं वादी की खातेदारी आराजी में जाति संबंधी इन्द्राज जाट को कलमजन कर मुताबिक अन्य दस्तावेजात जांगिड़ का अंकन करने के आदेश तहसीलदार चूरू को दिये जाते हैं। बाकी राजस्व इन्द्राज बदस्तूर रखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 04.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार— I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

उप खण्ड अधिकारी चूरू

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:33:25 IST
Reason: SelfAttested